

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No.2025/ACII/20/19 /e 3499048

RBA No. 18 / 2025

New Delhi ,dated: 17.06.2025

PFAs

All Zonal Railways/PUs .

Sub: Selections in Accounts Deptt. reg.

Instructions were issued vide letter no. E(NG)I /2025/PM1/3 dated 05.03.2025 cancelling all the pending selections (within Group 'C') which stands withdrawn restoring the status quo ante vide Board's letter no. E(NG)I /2025/PM1/3 dated 26.05.2025. Vide E(NG)I /2025/PM1/3 letter dated 28.03.2025, it was decided to partially rescind the decision of cancellation of the selections where (i) examination conducted but result awaited (ii) examination conducted and result declared and (iii) examination conducted , result declared but panel not approved . Therefore, all such ongoing selections where written examination were conducted before 04.03.2025 were to be finalized.

2. References have been received from various Zonal Railway regarding applicability of the instructions issued vide letter dated 28.03.2025 for various examination conducted in Accounts department. In this regard, it has now been decided that for examinations which were conducted by the Accounts Department before 04.03.2025 at the following stages **shall be finalized**:

- 2.a Examination conducted but results awaited
- 2.b Examination conducted and results declared
- 2.c Examination conducted, results declared but panel not approved

Digitally signed by
Rajat Agarwal
Date: 17-06-2025
18:48:00

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
Email id : rajat.agarwal91@gov.in

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 18/2025

सं.2025/एसी-II/20/19/ई 3499048

नई दिल्ली, दिनांक: 17.06.2025

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: लेखा विभाग में चयन के संबंध में।

बोर्ड के दिनांक 05.03.2025 के पत्र संख्या ई(एनजी)I/2025/पीएम1/3 के तहत सभी लंबित चयन (समूह 'ग' के अंतर्गत) रद्द करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें बोर्ड के दिनांक 26.05.2025 के पत्र संख्या ई(एनजी)आई/2025/पीएम1/3 के तहत यथास्थिति बहाल करते हुए वापस ले लिया गया है। दिनांक 28.03.2025 के पत्र संख्या ई(एनजी)आई/2025/पीएम1/3 के तहत उन चयनों को रद्द करने के निर्णय को आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया जहाँ (i) परीक्षा आयोजित की गई लेकिन परिणाम प्रतीक्षित है (ii) परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम घोषित किया गया और (iii) परीक्षा आयोजित की गई, परिणाम घोषित किया गया लेकिन पैनल अनुमोदित नहीं हुआ। इसलिए, चल रहे ऐसे सभी चयन जहाँ 04.03.2025 से पहले लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, उन्हें अंतिम रूप दिया जाना था।

2. लेखा विभाग में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से दिनांक 28.03.2025 के पत्र के तहत जारी निर्देशों की प्रायोज्यता के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, अब यह निर्णय लिया गया है कि लेखा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित चरणों को अंतिम रूप दिया जायेगा:

- 2.क परीक्षा आयोजित की गई लेकिन परिणाम प्रतीक्षित है
- 2.ख परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम घोषित किया गया
- 2.ग परीक्षा आयोजित की गई, परिणाम घोषित किया गया लेकिन पैनल को अनुमोदन नहीं दिया गया



(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं. 011-23047018

ई मेल आईडी: rajat.agarwal91@gov.in